# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः 170 दिनांक : 23/5/22

## कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.05.2022 को आवासन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मानसरोवर आवासीय योजना में कॉमर्शियल बैल्ट ''बी'' फैज–सी में नियोजित कॉमर्शिलय भूखण्ड संख्या 21 के प्रीमिमय सम्पति के अन्तर्गत नीलामी हेतु शर्तो के निर्धारण के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी उपस्थित रहे :–

1. श्रीमति संजय शर्मा – वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर
2. श्रीमति प्रीति सिंह पंवार – मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा.आ.म., जयपुर
3. श्री लेखराज जागृत – निदेशक विधि, रा.आ.म., जयपुर
4. श्री अनिल माथुर – अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा.आ.म., जयपुर
5. श्री नत्थूराम – अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम, रा.आ.म., जयपुर
6. श्री अनुज माथुर – संयुक्त निदेशक (एस.ए.), रा.आ.म., जयपुर
7. श्री ओ.पी. बूटोलिया – उप वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर
8. श्री संतसरण – वरिष्ठ नगर नियोजक, रा.आ.म., जयपुर
9. श्री जे.एस. बुगालिया – उप आवासन आयुक्त वृत–द्वितीय, रा.आ.म., जयपुर
10. श्री राजेन्द्र गुप्ता – आवासीय अभियंता – खण्ड–6, रा.आ.म., जयपुर

आयोजित बैठक में मानसरोवर आवासीय योजना में कॉमर्शियल बैल्ट ''बी'' फैज–सी में नियोजित कॉमर्शिलय भूखण्ड संख्या 21 के प्रीमियम सम्पति के अन्तर्गत नीलामी हेतु शर्तो के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई एवं निम्न निर्णय लिये गये।

1. आवासन मण्डल की वेबसाईट पर नीलामी कार्यक्रम हेतु बड़े भूखण्डों हेतु एक अलग से डोमेन बनवाया जावें।

2. नीलामी का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इकॉनोमिक टाईम्स, इण्डियन एक्सप्रेस एवं हिन्दुस्तान टाईम्स तथा राज्य स्तर पर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं 3 अन्य राज्य स्तरीय अखबारों में प्रकाशन नीलामी तिथि से कम से कम 30 दिवस पूर्व किया जावे।

3. नीलामी तिथि से ईएमडी राशि नियमानुसार न्यूनतम बोली मुल्य की 2 प्रतिशत होगी एवं RTGS/NEFT/ Online किसी भी माध्यम से मण्डल खाते में नीलामी तिथि से 10 दिवस पूर्व प्रारम्भ कर 5 दिवस पूर्व तक ही जमा कराई जा सकेगी, जिसका खुलासा विज्ञापन में किया जावेगा।

4. नीलामी तिथि का निर्धारण माह के प्रथम अथवा तृतीय सप्ताह में सोमवार से बुधवार के मध्य की जावेगी।

5. उच्चतम बोली की 15 प्रतिशत राशि 72 घंटे में जमा करानी होनी। (इस राशि में 2 प्रतिशत बयाना राशि समायोजित की जायेगी)।

6. यथा संभव वाणिज्यिक भूखण्ड का उपयोग एक ही भूखण्ड के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवासन मण्डल की स्वीकृति उपरांत उप विभाजन अधिकतम 4 भागों में किया जा सकेगा, जिसमें किसी भी भाग का क्षेत्रफल 10000 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।
7. भवन का निर्माण प्रचलित भवन निर्माण विनिमय राजस्थान में निर्धारित मानको के अनुरूप ही किया जा सकेगा एवं नक्शों की स्वीकृति आवासन मण्डल के नियमानुसार लेनी होगी।
8. ई–ऑक्शन के माध्यम से सम्पत्ति क्रय करने हेतु पहले बोलीदाता द्वारा पंजीकरण हेतु राशि. रू. 100000/– + जीएसटी 18 प्रतिशत अतिरिक्त आरएचबी को ऑनलाईन भुगतान करना होगा, जो कि नॉन रिफण्डेबल होगा।
9. 15 दिवस में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 2 प्रतिशत की छूट के प्रावधान यथावत लागू होगें।
10. भुगतान की समय–सीमा की शर्ते सीआरओ/राआमं/2020–21/107 दिनांक 03.09.2020 कार्यालय आदेश के अनुसार लागू रहेगें।
11. लीज व अन्य शुल्क मण्डल नियमानुसार अलग से वसूलनीय होगी।
12. इससे संबंधित विस्तृत जानकारी एवं संबंधित आदेश मण्डल वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/rhb पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अंत में आसन को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

sd/–

**(जे.एस. बुगालिया)**
**उप आवासन आयुक्त**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. मुख्य अभियंता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त वृत–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. आवासीय अभियंता – खण्ड–6, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

**उप आवासन आयुक्त**